

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या -70/2021-22

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

नन्दलाल महतो बनाम संतोष कुमार महतो

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता -

नन्दलाल महतो पिता-स्व० परेश महतो, ग्राम-बेला, प्रखण्ड/अंचल-राहे, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी महतो, पेशा-खेतीवारी।

क्रेता का नाम एवं पता -

संतोष कुमार महतो पिता-स्व० कबीर महतो, ग्राम-बेला, प्रखण्ड/अंचल-राहे, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी महतो, पेशा-खेतीवारी।

विद्वान अधिवक्ता का नाम -

श्री मुकुन्दर सिंह मुण्डा।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-30/09/2021 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत क्रेता संतोष कुमार महतो पिता-स्व० कबीर महतो, ग्राम-बेला, प्रखण्ड/अंचल-राहे, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी महतो, पेशा-खेतीवारी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी है:-

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
बेला	सोनाहातु/79	31	729	11½ डी० चौहद्दी:- उ०-जगदीश महतो। द०-सेवाराम महतो। पू०-आम रास्ता। प०-शम्भुनाथ महतो।

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, राहे-से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, राहे का पत्रांक-504(ii) दिनांक-30/11/2021 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो कि निम्नवत है।

- (1) प्रस्तावित जमीन के खयितानी रैयत परवल महतो वल्द चतुर महतो कौम-कुरमी, सा० देह के नाम से दर्ज है।
- (2) खतियानी रैयत/पंजी II रैयत के साथ विक्रेता का संबंध दादा-पोता का है।
- (3) पंजी II के अनुसार रैयत का नाम परवल महतो वल्द चतुर महतो है। तथा रैयत के पास खाता-31 में रकबा-11.87 एकड़ भूमि है।
- (4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2021-22 तक वसूली गयी है।
- (5) जमाबंदी रैयत के साथ विक्रेता का संबंध दादा-पोता का है। तथा खतियानी के आधार जमाबंदी कायम है।
- (6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन टांड-III किस्म की है।
- (7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकबा-1.36½ ए० भूमि शेष रह जाएगा।
- (8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को निजी कार्यों के लिए बिक्री कर रहे है।
- (9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो कुरमी समुदाय के है।
- (10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो राँची जिला के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, राहे ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत विक्रेता नन्दलाल महतो पिता-स्व० परेश महतो, ग्राम-बेला, प्रखण्ड/अंचल-राहे, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी महतो, पेशा-खेतीवारी, को क्रेता संतोष कुमार महतो पिता-स्व० कबीर महतो, ग्राम-बेला, प्रखण्ड/अंचल-राहे, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी महतो, पेशा-खेतीवारी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक-22/10/2021 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, राहे के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता नन्दलाल महतो पिता-स्व० परेश महतो, ग्राम-बेला, प्रखण्ड/अंचल-राहे, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी महतो, पेशा-खेतीवारी, को क्रेता संतोष कुमार महतो पिता-स्व० कबीर महतो, ग्राम-बेला, प्रखण्ड/अंचल-राहे, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी महतो, पेशा-खेतीवारी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा-46(i)b के तहत दी जाती है। तथा अवर





निबंधक, बुण्डू/जिला अवर निबंधक, राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नही करेंगे।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
बेला	सोनाहातु/79	31	729	11½ डी० चौहद्दी:- उ०-जगदीश महतो। द०-सेवाराम महतो। पू०-आम रास्ता। प०-शम्भुनाथ महतो।

लेखापित एवं संशोधित।


भूमि सुधार उप समाहर्ता।
बुण्डू (राँची)।


भूमि सुधार उप समाहर्ता।
बुण्डू (राँची)।